



Neutral Citation No. - 2026:AHC:165885

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-
7698/2026**

लालू सिंह

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : मुकेश कुमार

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- 1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. उपस्थित हैं।
- 2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 06 वर्ष 2026, बी.एन.एस., 2023 की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 191(2), 352, 351(3), 115(2), थाना-कायमगंज, जनपद-फर्रुखाबाद, में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की प्रार्थना की है:-

i- आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। उसकी आयु लगभग 61 वर्ष है और वह वृद्ध व्यक्ति है।

ii- शराब का सेवन कराए जाने के पश्चात् आवेदक का अनुचित लाभ उठाया गया तथा कागजों पर उसके फोटो एवं अंगूठे के निशान ले लिए गए, जिनके बारे में कहा गया है कि वे सह-अभियुक्त द्वारा निष्पादित कूटरचित विक्रय विलेख हैं।

iii- आवेदक को कूटरचित विक्रय विलेख के निष्पादन तथा उसमें आवेदक के फोटो लगाए जाने की जानकारी होने पर, उसने विक्रय विलेख के निरस्तीकरण हेतु मूल वाद संख्या 453 वर्ष 2026 संस्थित किया।

iv- आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया तथा तर्क दिया कि विवेचना के दौरान आवेदक का नाम प्रकाश में आया है। कूटरचित विक्रय विलेख पर उसी का फोटो लगाया गया है। तथापि, उन्होंने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि आवेदक लगभग 61 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है और न ही इस तथ्य पर विवाद किया कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। विद्वान ए.जी.ए. ने आगे तर्क दिया कि आवेदक के विरुद्ध बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत कार्यवाही पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है।

5- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6- आवेदक लगभग 61 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है। उसने स्वयं विवादित विक्रय विलेख के निरस्तीकरण हेतु मूल वाद संस्थित किया है। उसका दावा है कि उसे कुछ दस्तावेज निष्पादित करने के लिए धोखे में रखा गया, जो बाद में विवादित विक्रय विलेख पाया गया। आवेदक का प्रकरण सह-अभियुक्तों से

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भिन्न आधार पर है, जिनके बारे में कहा गया है कि वे प्रश्नगत विक्रय विलेख के लाभार्थी हैं। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और उसने विवेचना में सहयोग करने का वचन दिया है।

7- गैर-जमानती वारंट जारी होना मात्र अपने आप में किसी अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्राप्त करने से अयोग्य नहीं बनाता है। उच्चतम न्यायालय ने **आशा दूबे बनाम म0प्र0 राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन 5633** में, पैरा 8 में निम्नवत् टिप्पणी एवं मत व्यक्त किया है:

“जहाँ तक अग्रिम जमानत पर विचार करने का प्रश्न है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा किए जाने की स्थिति में ऐसा नहीं है कि सभी प्रकरणों में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।”

8- जैसा कि उपर्युक्त चर्चा की गई है, प्रकरण के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय प्रथमदृष्टया इस मत का है कि आवेदक ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु अपना प्रकरण बनाया है।

9- आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10- आवेदक-लालू सिंह की, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- i- आवेदक जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii- आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;
- iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



iv- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

11- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

6 अगस्त, 2026

श्वेता

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”